



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48]
No. 48]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 23, 1992/अग्रहायण 7, 1914
NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 23, 1992/AGRAHAYANA 7, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केंद्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर) द्वारा
विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण
प्रकार के आदेश, उप नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general
Character) issued by the Ministries of the Government of India (other
than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other
than the Administration of Union Territories)

विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1992

सा. का. नि. 520.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्तरु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी विधि
बुक में समूह "व" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी विधि बोर्ड (समूह "व" पद) भर्ती नियम, 1992 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान
उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य शर्तें आदि
उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शर्तें और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट
हैं।
- निरहताएं—यह व्यक्ति:—
(क) जिनने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Person	47* (1992) Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted Ministerial	R. 750-12-870-EH- 14-940	Not applicable	Upto 25 years. Note: The crucial date for determining the age as mentioned in the Schedule in each case shall be the last date up to which the Employment Exchange Office are asked to submit names.
	(7)		(8)		(9)
Not applicable		Essential: 8th Standard Pass Desirable: knowing cycling.		Not applicable	Two years
	(11)	(12)		(13)	(14)
By direct recruitment		Not applicable	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. Assistant Inspector General of Forests Regional Office (Headquarter) —Chairman 2. Under Secretary (Administration) —Member 3. Deputy Conservator of Forests (Central) Member 4. Technical Officer—Member 5. One Group 'A' Officer belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribes —Member 6. One Group 'A' Officer belonging to Minority Community Member		Not applicable

[NO 4-1/89-RO(HQ)]
M.G. GROVER, Dy. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1992

भा.का.नि. 531.—राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के अनुच्छेद 309 के
पर्युक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए भाकाशवाणी (समूह 'द')
धर्ती नियम 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम
बनाते हैं:—

1. (1) इन नियमों का उल्लिखित नाम भाकाशवाणी (समूह 'द') धर्ती
(संशोधन) नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।

2. भाकाशवाणी (समूह 'द') धर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में
अध्यायक के पद से संबंधित क्रम संख्या 44 के नाम से स्वयं 8 की श्रेणीगत
प्रतिष्ठियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

"आध्यक्षक"

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित किसी एक
मुख्य/वैकल्पिक विषय के साथ डिग्री या समतुल्य:—

- (1) समाज शास्त्र
- (2) अर्थशास्त्र
- (3) सांख्यिकी
- (4) मनोविज्ञान
- (5) सामाजिक कार्य
- (6) सामाजिक मानव विज्ञान

(2) किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थान/संघन में क्षेत्र अन्वेषण
या सांख्यिकीय जांच या अनुसंधान में दो वर्ष का अनुभव "

[संख्या 9/18/84-ए और (बाल-II) की (ए)]
कश्मीरी भाषा, अक्षर सचिव

टिप्पण:— दिनांक 30-11-1964 की जी.एस.आर. संख्या 1776
द्वारा भाकाशवाणी (समूह 'ब' धर्ती) धर्ती नियमों, 1964
के प्रमुख नियमों की अधिसूचना दी जाती है और कृपया:
निम्नलिखित संशोधनों की अधिसूचना दी जाती है:—

1. अधिसूचना सं. 11/5/64-बी (ए) दिनांक 9-8-1965
2. अधिसूचना सं. 5/2/67-बी (ए) दिनांक 20-3-1967
3. अधिसूचना सं. 7/3/68-बी (ए) दिनांक 14-8-1968
4. अधिसूचना सं. 7/8/66-बी (ए) दिनांक 31-1-1970
5. अधिसूचना सं. 30/8/67-बी (ए) दिनांक 24-2-1970
6. अधिसूचना सं. 18/20/69-बी (ए) दिनांक 30-3-1970
7. अधिसूचना सं. 1/7/70-बी (ए) दिनांक 18-3-71
8. अधिसूचना सं. 1/8/71-बी (ए) दिनांक 29-1-1972
9. अधिसूचना सं. 1/8/71-बी (ए) दिनांक 2-2-1972
10. अधिसूचना सं. 1/11/71-बी (ए) दिनांक 5-5-1972
11. अधिसूचना सं. 1/4/72-बी (ए) दिनांक 18-8-1972
12. अधिसूचना सं. 1/7/71-बी (ए) दिनांक 14-11-1972
13. अधिसूचना सं. 1/8/73-बी (ए) दिनांक 23-5-1973

14. अधिसूचना सं. 1/11/73-बी (ए) दिनांक 29-8-1973
15. अधिसूचना सं. 1/5/73-बी (ए) दिनांक 20-8-1973
16. अधिसूचना सं. 1/7/70-बी (ए) दिनांक 15-5-1974
17. अधिसूचना सं. 1/7/70-बी (ए) दिनांक 8-8-1974
18. अधिसूचना सं. 1/5/73-बी (ए) दिनांक 25-3-1974
19. अधिसूचना सं. 1/3/74-बी (ए) दिनांक 21-5-1978
20. अधिसूचना सं. 12019/10/79-बी (ए) दिनांक 26-12-1978
21. अधिसूचना सं. 12019/1/78-बी (ए) दिनांक 17-12-1980
22. अधिसूचना सं. 12019/8/80-बी (ए) दिनांक 27-4-1981
23. अधिसूचना सं. 12019/8/81-बी (ए) दिनांक 17-5-1982
24. अधिसूचना सं. 12019/4/81-बी (ए) दिनांक 11-4-1983
25. अधिसूचना सं. 45011/83/82-बी (ए) दिनांक 29-10-1983
26. अधिसूचना सं. 7/19/83-ए.आर./बी (ए) दि. 3-7-1984
27. अधिसूचना सं. 3/25/83-सी.आर.सी. आर/एज. 11/ए.आई.आर. बी (ए) दिनांक 2-6-1987
28. अधिसूचना सं. 7/5/86-ए.आर./ए.आई.आर./बी (ए) दिनांक 19-9-1987
29. अधिसूचना सं. 7/13/86-ए.आर./बी (ए) दिनांक 10-11-1987
30. अधिसूचना सं. 8/36/87-एस. II/बी (ए) दिनांक 30-12-1987
31. अधिसूचना सं. 14/19/86-एस. II/बी (ए) दिनांक 27-4-1988
32. अधिसूचना सं. 2/7/83-सी.आर.सी.आर/एस. II/एस. 8/बी (ए) दिनांक 23-5-1988
33. अधिसूचना सं. 8/38/87-एस. II/बी (ए) दिनांक 21-6-1988
34. अधिसूचना सं. 8/38/87-एस. II/बी (ए) दिनांक 22-6-1989
35. अधिसूचना सं. 2/32/88-एस. II/बी (ए) दिनांक 13-2-1990
36. अधिसूचना सं. 2/32/88-एस. II/बी (ए) दिनांक 3-5-1991
37. अधिसूचना सं. 9/16/84-ए.आर. (वज. -II/बी (ए) दिनांक 28-11-1991

- (3) Statistics
- (4) Psychology
- (5) Social Work
- (6) Social Anthropology.

(ii) Two years' experience in field investigation or Statistical inquiries or research in the Government or recognised Institute/Organisation."

[No. 9/16/84-AR(Vol.II)/B(A)]

KASHMIRI LAL, Under Secy.

NOTE.—Principal rules the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1964, were notified vide G.S.R. No. 1776 dated 30-11-1964 and subsequently the following amendments have been notified:—

1. Notification No. 11/5/64-B(A), dated 9-8-1965
2. Notification No. 5/2/67-B(A), dated 20-3-1967
3. Notification No. 7/2/68-B(A), dated 14-6-1968
4. Notification No. 7/8/66-B(A), dated 31-1-1970
5. Notification No. 20/8/67-B(A), dated 24-2-1970
6. Notification No. 16/20/69-B(A), dated 30-3-1970
7. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 18-3-1971
8. Notification No. 1/8/71-B(A), dated 29-1-1972
9. Notification No. 1/8/71-B(A), dated 2-2-1972
10. Notification No. 1/11/71-B(A), dated 5-5-1972
11. Notification No. 1/4/72-B(A), dated 16-6-1972
12. Notification No. 1/7/71-B(A), dated 14-11-1972
13. Notification No. 1/6/73-B(A), dated 23-5-1973
14. Notification No. 1/11/73-B(A), dated 29-6-1973
15. Notification No. 1/5/75-B(A), dated 20-8-1973
16. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 15-5-1974
17. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 8-8-1974
18. Notification No. 1/5/73-B(A), dated 25-8-1974
19. Notification No. 1/3/74-B(A), dated 21-5-1976
20. Notification No. 12019/10/79-B(A), dated 26-12-1978
21. Notification No. 12019/1/78-B(A), dated 17-12-1980
22. Notification No. 12019/8/80-B(A), dated 27-4-1981
23. Notification No. 12019/8/81-B(A), dated 17-5-1982
24. Notification No. 12019/4/81-B(A), dated 11-4-1983
25. Notification No. 45011/83/82-B(A), dated 29-10-1983
26. Notification No. 7/19/83-AR/B(A), dated 3-7-1984
27. Notification No. 3/25/83-CR/CR/SII/AIR/B(A), dated 2-6-1987
28. Notification No. 7/5/86-AR/AIR/B(A), dated 19-9-1987
29. Notification No. 7/13/86-AR/B(A), dated 10-11-1987
30. Notification No. 8/36/87-SII/B(A), dated 30-12-1987
31. Notification No. 14/19/86-SII/B(A), dated 27-4-1988
32. Notification No. 2/7/88-CR/CR/SII/SVII/B(A), dated 23-5-1988
33. Notification No. 8/38/87-SII/B(A), dated 21-6-1988
34. Notification No. 8/38/87-SII/B(A), dated 22-6-1989
35. Notification No. 2/32/88-SII/B(A), dated 13-2-1990
36. Notification No. 2/32/88-SII/B(A), dated 3-5-1991
37. Notification No. 9/16/84-AR(Vol. II)/B(A), dated 28-11-1991

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 23rd October, 1992

G.S.R. 531.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group C) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1. (i) These rules may be called the All India Radio (Group C) Recruitment (Amendment) Rules, 1992.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group C) Recruitment Rules, 1964, against serial number 44 relating to the post of Investigator, in Column 8 for the existing entries, the following shall be substituted, namely:—

"Essential:

(i) Degree of a recognised University or equivalent with one of the following as main/elective subjects:

- (1) Sociology
- (2) Economics